

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 4516/2026**

सर्वेन उर्फ श्रवण निषाद

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग,
लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: विजयेंद्र प्रकाश त्रिपाठी
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	: शा.अ.

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर मुकदमा अपराध संख्या 256/2026, अंतर्गत धारा 3(1)उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना- कोतवाली अयोध्या, जिला - फैजाबाद/अयोध्या में दौरान परीक्षण जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि गिरोह सारणी में प्रार्थी के खिलाफ एक मामला दिखाया गया है, जिसमें उसे जमानत मिल चुकी है। जमानत आदेश की प्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ लगायी गयी है। उस एक मामले के अलावा, प्रार्थी का पांच अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनका उल्लेख जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 9-13 में किया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी किसी भी असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं है और वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी गिरोह का सदस्य या अधिनायक भी नहीं है। प्रार्थी 03.09.2025 से जेल में निरुद्ध है। प्रार्थी वचन देता है कि अगर उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह प्राप्त जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि प्रार्थी को गिरोह सारणी में दिखाए गए मामले में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों, आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोपों के समर्थन में न्यायालय की प्रारम्भिक संतुष्टि, सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला मानता हूँ।

उपरोक्त अपराध में शामिल प्रार्थी- **सरवन उर्फ़ श्रवण निषाद** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

1. प्रार्थी जांच या परीक्षण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. प्रार्थी को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथियों पर सुनवाई स्थगन की मांग नहीं करेगा। उसे नियत प्रत्येक तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए उपस्थिति रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के उपस्थित नहीं रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।
3. प्रार्थी को (i) वाद शुरू करने, (ii) आरोप निर्धारित करने और (iii) धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा; और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. अगर प्रार्थी परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और प्रार्थी उस उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत उसके विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही शुरू करेगा। संबंधित न्यायालय प्रतिभुओं की पहचान, हैसियत और रिहायशी पते के साक्ष्य की जांच करेगी। अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की दशा में अवर न्यायालय के पास ज़मानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस ज़मानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह)

25 जून 2026

आरती/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।